

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 3जी (5) संख्या: 27/2018
दायर दिनांक: 29.10.2018
आदेश दिनांक 05.03.2020

--:अनवान:--

श्री बंशीलाल पिता मोहनलाल जाति बोल्या जैन निवासी कांकरोली तहसील व
जिला राजसमन्द

प्रार्थी

--: बनाम :-

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मेनेजर पंचवटी उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
अधिनियम 1997

उपस्थित:-

- 1- श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
- 2- श्री गिरिश तिवारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
- 3- श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
- 4- श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की ग्राम मोरचना तहसील व जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 280 रकबा. 0.0620 हैक्टेयर भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही में लिया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 800 रुपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है जबकि उक्त भूमि का मुआवजा 3,85,020/-रुपये ही तय किया गया जो बाजार दर से काफी कम है। तत्कालीन समय में प्रार्थी से लगती हुयी भूमि औद्योगिक रूपान्तरण होकर भूखण्ड 800/-प्रति वर्गफीट के हिसाब से अन्तरण हुआ है। और उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को उक्त दर से नहीं दिया गया है। न ही दिनांक 07.03.2013 से ब्याज का भूगतान किया गया है। प्रार्थी को मुआवजा कम दर से तय किया गया है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने



/

के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशा निर्देशानुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं। लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शतप्रतिशत तोषण राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि 64170/- एवं 49910/- रुपये के बैंक तहसीलदार, राजसमन्द के जरिये भिजवाया गया जिसे प्रार्थी द्वारा स्वीकार नहीं करने से पुनः इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से भुगतान चाहती है। जबकि निर्धारित डी0एल0सी0 दर से भुगतान करने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा क्लेम/दस्तावेज पेश न करने से शेष राशि का भुगतान किया जाना अवशेष है। तथा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान दिनांक 01.01.2015 से प्रभावित होने से प्रार्थी इस अधिनियम के तहत अब कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा अब तक भुगतान पत्रादि पेश न करने से मुआवजा राशि अदा करना अवशेष है। विपक्षी ने डी0एल0सी0 दर अनुसार कब्जा प्राप्ति के तुरन्त पश्चात भुगतान हेतु एवार्ड जारी कर दिया। अतः प्रार्थी को अब कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं है। एवं भूमि अवाप्ति की कार्यवाही विधिवत एवं नियमानुसार की गयी है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं एवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की भूमि जो अवाप्त हुयी है उसका मुआवजा नियमानुसार बाजार दर 800 रुपये प्रति वर्गफिट से अदा नहीं कर डी.एल. सी. दर से निर्धारित की गयी है। इसलिए अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा बाजार दर अनुसार एवं RFCTLARR,ACT 2013 के प्रावधानों के तहत संशोधित एवार्ड जारी नहीं किया गया है। इससे सटी हुई आराजी का मुआवजा RFCTLARR,ACT 2013 के प्रावधानों के तहत अदा किया गया है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी मानसिंह बनाम भारत संघ के मामले में RFCTLARR,ACT 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि भुगतान करने के निर्देश दिये हैं। इससे सटी हुई भूमि जगदीश पालीवाल बनाम एन.एच.ए.आई के मामले में भी RFCTLARR,ACT 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा देने के आदेश हुए हैं। विपक्षी द्वारा जवाब में निवेदन किया है कि उक्त प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 64170/- एवं 49910/- रुपये के बैंक तहसीलदार, राजसमन्द के जरिये भिजवाया गया है। जिसे प्रार्थी द्वारा स्वीकार नहीं करने से पुनः इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी वर्तमान बाजार दर से



81


भुगतान चाहता है। जबकि मुआवजे का निर्धारण डी0एल0सी0 दर अनुसार किये जाने के प्रावधान है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान उक्त मामले में लागू नहीं होते हैं। उक्त प्रकरण दिनांक 01.01.2015 से पूर्व का है। जिसमें मुआवजा प्रार्थी के पक्ष में जारी किया जा चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया तथा अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी की उक्त भूमि विपक्षी द्वारा नेशनल हाईवे फोरलेन निर्माण हेतु अवाप्त की गयी है मोके पर अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा प्रार्थी के अनुसार भूमि की राजस्व रेकार्ड में दर्ज किस्म के अनुसार ही निर्धारित किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा निर्धारित कर अवार्ड की पालना में चेक प्रार्थी के पक्ष में जारी किया जा चुका है। प्रार्थी ने उक्त चेक प्राप्त नहीं किया है। तथा अपने क्लेम दस्तावेज भी विपक्षी के यहां पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमि का मुआवजा नियमानुसार निर्धारित किया जाना पाया जाने से एवं क्लेम राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।


::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अवाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांक: 05.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

